12011/07/2011-स्था.(भत्ता)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक: 23 मई, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय : बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी (आर्थिक सहायता) - स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02 सितंबर, 2008 के का.ज्ञा. सं. 12011/03/2008-स्था.(भत्ता) तथा दिनांक 30 दिसंबर, 2010 के उनके अनुवर्ती स्पष्टीकरण सं.12011/08/2010-स्था.(भत्ता) का संदर्भ देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि स्कूलों द्वारा दृश्य-श्रव्य सहायता के लिए की गई फीस की प्रतिपूर्ति के विषय में स्पष्टीकरण के बारे में इस विभाग में विभिन्न संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि बच्चे द्वारा प्रयोग की गई किसी भी सहायक सामग्री अथवा उपकरण के लिए स्कूल द्वारा ली गई फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अतः, यदि दृश्य-श्रव्य उपकरणों द्वारा स्कूल में पढ़ाई के लिए स्कूल द्वारा फीस ली जाती है तो उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 1(ड.) में उल्लिखित "फीस" के तहत उसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

(विभा जी. मिश्रा)

निदेशक

प्रति प्रेषित :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय/महालेखाकार, वित्त मंत्रालय।
3. संघ लोक सेवा आयोग/उच्चतम न्यायालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्री मण्डल सचिवालय/केंद्रीय सतर्कता आयोग/योजना आयोग के सचिव
4. राष्ट्रपति का सचिवालय/उप राष्ट्रपति का सचिवालय/प्रधानमंत्री का कार्यालय
5. सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रदेशों के प्रशासन
6. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के स्टाफ पक्ष के सभी सदस्य
7. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
8. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की एनआईसी को इस अनुरोध के सहित कि वह इस कार्यालय ज्ञापन को वेबसाइट पर अपलोड करा दें।